

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री उत्सव कौशल, आई.ए.एस.  
करण संख्या 10/2019

उनवान

1. श्री उदा पिता छोगा लुहार निवासी औज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा -प्रार्थी  
बनाम
1. श्री भंवरलाल पिता रामचन्द्र सुनार नि0 औज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. श्री चम्पालाल पिता पन्नालाल सुनार नि0 औज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. श्री शंकरलाल पिता उदयराम अहीर नि0 औज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ -अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 01.03.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 28.09.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र व तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 310 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा, आ0नं0 311 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.02.2019 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 04 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इनत थ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र व तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 310 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा, आ0नं0 311 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 01.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दपतर रहे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ